पॉलिसी: धूम्रपान

पॉलिसी संख्या: 45

जारी होने की तारीख - 10/06/2021

आखिरी संशोधन की तारीख - 08/09/2021

किस पर लागू है - कम्पनी के सभी कर्मचारियों पर

पॉलिसी में पेजों की कुल संख्या - 1

हम धूम्रपान को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप धूम्रपान न करें। हालाँकि, यदि आपको धूम्रपान करना ही है, तो इसे केवल निर्धारित स्थानों पर ही करें और जहाँ धूम्रपान क्षेत्र का साइन बोर्ड भी प्रदर्शित हो।

कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा, बुझी हुई बीड़ी, सिगरेट के पैकेट और बंडल आदि जैसे कूड़े इधर-उधर नहीं फेकें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बीड़ी / सिगरेट बुझा कर कूड़ेदान में ही फेंके जाएं।

एच-आर विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्थानों पर एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले साइनबोर्ड पर "धूम्रपान क्षेत्र" लिखा हो और निर्धारित स्थानों पर कूड़ेदान हो। कूड़ेदान प्लास्टिक जैसे ज्वलनशील पदार्थों से नहीं बना होना चाहिए।

धूम्रपान क्षेत्र का स्थान जानने के लिए कर्मचारी एच-आर विभाग या सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें।

धूम्रपान करने के लिए फैक्ट्री परिसर से बाहर जाना सभी के लिए प्रतिबंधित है।

Ok Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

HR and Management Approved

Ok Approved

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत